नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 नियोजित जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि मिसल पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/5/24 को पेश हो	
17/5/24	वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 19/5/23 की पालना में पत्रा. नी वास्ते बहस। दिनांक 7/6/24 को पेश हो पीठासीन अवकाश खण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर	
7/6/24	वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 19/5/23 की पालना में पत्रा. नी वास्ते बहस। सुनी गई दिनांक 21/6/24 को पेश हो वास्ते आदेश खण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर	
21/6/24	पत्रावली उपस्थित। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड के लाहिक तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त आराजी वाके ग्राम खेड़ा मेव तहसील कठूमर की आराजी है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में मुश्तरका खातेदारी दर्ज है सायल गैरसायल व गैरसायल की मुश्तरका कब्जे काश्त की आराजी है सामलात में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं गैरसायल के उसके 1/2 भाग के मुताबिक सामलात कब्जे काश्त करने में झगड़ा फिसाद करने लग गये हैं अब सामलात में काश्त करना संभव नहीं है सायल व गैरसायलान के उक्त आराजी मुताबिक अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का कानूनी रूप से बटवारा करवाकर कब्जा दे अलग व खातावन्दी कायम करवाने की कहा है इन्कार किया है गैरसायलान को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	कोई अधिकार नहीं है यदि गैर सायलान अपने ना पाक इरादों में कामयाब हो गए, तो सायल को ना पूर्ति होने वाली क्षति होना तय है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि० की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 1 लगा० 5 की ओर से हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी पर मौके पर कोई विवाद नहीं है सायल उक्त आराजी को विवादित बताकर झूठा दावा पेश किया है अतः आराजी खेवट होल पर पुश्तैनी के समय से बैठी हुई खेवटदारों के अनुसार पक्षकारान अलग- काश्त करते चले आ रहे हैं अतः ये प्रार्थना-पत्र गलत तथ्यों से झूठा पेश किया, प्रा० पत्र खारिज जाने योग्य नहीं है तर्क तीनों बिन्दु सायल पक्ष में साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सायल का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, मैंने पत्रावली व तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया सायल ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए जमाबन्दी हाल व छायाप्रति पेश की जिसके अवलोकन से विवादित आराजी सायल व गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल ने विवादित आराजी का पहले से ही [illegible] होना मुताबिक बटवारा अपने-अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करना, तथा विवादित आराजी का अरसों से अपनी व उसी के से हुई [illegible] का आधार-मान, खाता कायम करने का कथन किया है। गैरसायलान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। स्थगन के अभाव में किस तरह से नुकसान व क्षति हो रही है साबित नहीं किया है यदि प्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो अपार हानि व असुविधा प्रार्थीगण को होना संभव नहीं। चूंकि प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र मय शपथ के साबित करने में असफल रहे है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में साबित ना होकर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकृति साबित है। अतः सायल का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित न होने से नामंजूर कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी यथास्थिति आदेश दिनांक 19/05/2023 को खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पर निस्तारण सफल हुआ। शेष दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे हुक्म Sd/- SDM .../.../..	